19

II/निग0/सतना/भू0प्र0/2017/4415

# न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0,

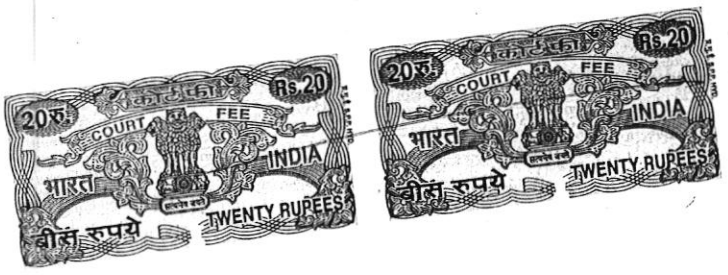


रामलखन पाण्डेय तनय श्री सरमन प्रसाद पाण्डेय द्वारा मुख्त्यारआम बृजगोपाल पाण्डेय तनय श्री रामलखन पाण्डेय निवासी ग्राम सिंहपुर तहसील नागौद जिला सतना म0प्र0,

.....निगरानीकर्ता

**बनाम**

.....रेस्पाडेन्ट

शासन म0प्र0

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा म0प्र0 के प्रकरण कमांक-09/निगरानी/2017-18 आदेश दिनांक-23.10.2017,

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959ई.,

कलर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट बेंच) रीवा

**मान्यवर,**

प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है-

यह कि निगरानीकर्ता द्वारा माननीय जिलाध्यक्ष महोदय सतना के समक्ष आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया था कि भू आवंटन कमेटी कैम्प सिंहपुर द्वारा दिनांक-15.05.1976 को आदेश पारित किया गया था कि प्रार्थी/निगरानीकर्ता के पक्ष में भूमि खसरा कमांक-662/1 रकवा 0.688हे., आराजी नं0 848/2 रकवा 0.352हे., आराजी नं0 850/1ख रकवा 0.040हे., आराजी नं0 850/2 रकवा 0.454हे., आराजी नं0 850/10 रकवा 1.899हे. स्थित ग्राम सिंहपुर तहसील नागौद जिला सतना का प्रीमियम जमा कर नामान्तरण अपने नाम करा ले। निगरानीकर्ता अत्यधिक वृद्ध होने की वजह से प्रीमियम जमा नहीं कर सका, जब प्रार्थी को यह

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो–निगरानी / सतना / भू.रा. / 2017 / ~~4425~~ 4415

| स्थान दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 06-03-2018 | निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 9 / 2017–18 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23–10–2017 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।<br>2/ आवेदक के अभिभाषक ने प्रारंभिक तर्को में बताया है कि आवेदक को आदेश दिनांक 15–5–1976 से ग्राम सिंहपुर में भूमि का आवंटन किया गया है जिसमें आदेश हुये थे कि निर्धारित प्रीमियम जमा कराने के वाद आवेदक अपना नामान्तरण करावे। आवेदक अत्यंत वृद्व है जिसके कारण वह समय पर अपना प्रीमियम जमा नहीं करा सका, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने प्रीमियम जमा न कराते हुये प्रकरण तहसीलदार को भेजे जाने के आदेश दे दिये है इसी प्रकार अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक की अपील को बेरूम्याद मानकर निरस्त करने में त्रृटि की है और अपर आयुक्त ने अपीलांट की वृद्वावस्था पर ध्यान न देकर प्रीमियम जमा करने में हुये विलम्ब को क्षमा न करते हुये अपील स्वीकार न करने में भूल की है इसलिये निगरानी सुनवाई में ली जाकर स्वीकार की जाय।<br>3/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को के कम में अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 23–10–2017 के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर आयुक्त ने इस प्रकार निष्कर्ष देते हुये आवेदक की अपील निरस्त की है :– | |

" तहसीलदार नागोद के प्रकरण कमांक 75 अ–19 / 1975–76 की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत किया था जिसमें उल्लेख था कि हलका पटवारी उक्त भूमियों का नियमानुसार प्रीमियम जमा कर शीघ्र प्रतिवेदन प्रस्तुत करे ताकिं अनुविभागीय अधिकारी नागोद के यहं प्रतिवेदन भेजकर प्रीमियम जमा कराने की स्वीकृति प्राप्त की जा सके। लेकिन समयावधि में प्रीमियम नहीं जमा कराया गया। अपीलार्थी व्दारा 38 वर्षो वाद आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो स्वीकार योग्य न होने से अपील निरस्त की जाती है। "

उपरोक्त से परिलक्षित है कि 38 वर्ष का विलम्ब अनुचित विलम्ब है और इस विलम्ब के लिये आवेदक स्वयं दोषी है जिसके कारण 38 वर्ष के अत्याधिक विलम्ब को क्षमा नहीं किया जा सकता। फलस्वरूप अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा आदेश दिनांक 23–10–2017 में निकाला गया निष्कर्ष सही कारणों पर आधारित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी प्रचलनशील न पाये जाने से इसी–स्तर पर समाप्त की जाती है।

सदस्य